

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 132]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 अप्रैल 2023—वैशाख 1, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2023

क्र. CT-8-0005-2023-Sec-1-पांच (CT) (12).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क के सहपठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-31-2020-1-पांच (67), दिनांक 5 दिसम्बर, 2020 तथा अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-07-2021-1-पांच (26), दिनांक 10 जून, 2021 तथा अधिसूचना क्र. CT-3-0002-2022-Sec-1-पांच (CT) (44), दिनांक 20 जुलाई, 2022 के आंशिक संशोधन में, परिषद् की सिफारिशों पर, नीचे विनिर्दिष्ट अवधि से संबंधित, उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन, संदत्त न किए गए या कम संदत्त किए गए कर या गलत प्राप्त या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की वसूली के लिए, आदेश जारी करने की, धारा 73 की उपधारा (10) के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा का विस्तार करती है, अर्थात् :—

- वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए, 31 दिसम्बर, 2023 तक;
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, 31 मार्च, 2024 तक;
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, 30 जून, 2024 तक.

2. यह अधिसूचना दिनांक 31 मार्च, 2023 से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2023

क्र. CT-8-0005-2023-Sec-1-पांच (CT) .—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT-8-0005-2023-Sec-1-पांच (CT) (12), दिनांक 21 अप्रैल 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 21st April 2023

No.CT-8-0005-2023-Sec-1-V (CT) (12).—In exercise of the powers conferred by Section 168A of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) read with Section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), and in partial modification in this department;s Notification No. F-A3-31-2020-1-V (67), Dated 5th December, 2020 and No. F A 3-07-2021-1-V (26), Dated 10th June, 2021 and Notification No. CT-3-0002-2022-sec-1-VCT) (44), Date 20th July, 2022, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby, extends the time limit specified under sub-section (10) of Section 73 for issuance of order under sub-section (9) of Section 73 of the said Act, for recovery of tax not paid or short paid or of input tax credit wrongly availed or utilised, relating to the period as specified below, namely :—

- (i) for the financial year 2017-18, up to the 31st day of December, 2023;
- (ii) for the financial year 2018-19, up to the 31st day of March, 2024;
- (iii) for the financial year 2019-20, up to the 30th day of June, 2024.

2. This notification shall be deemed to have come into effect from the 31st March, 2023.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.